न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 15/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजेश गोयल पुत्र मातादीन गोयल ऋणी
निवासी 254, संधी मौहल्ला, कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।
2. सुशीला देवी पत्नी मातादीन गोयल सहऋणी एवं रहनकर्त्ता
निवासी 254, संधी मौहल्ला, कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।
यहां भी....
सुशीला देवी, शॉप नं. बी–9, बेसमेंट एण्ड जी–9, ग्राम कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र विश्वेश्वर कुमार सहऋणी एवं रहनकर्त्ता
निवासी 254, संधी मौहल्ला, कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।
यहां भी....
महेन्द्र कुमार, प्रोपर्टी एस. नं. 1993, संकल्प नं. 18, एट ग्राम पंचायत कनवत, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708।
4. ललित कुमार स्वामी पुत्र प्रहलाद स्वामी जमानती
निवासी वार्ड नम्बर 10, कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13-5-, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राजेश गोयल, सुशीला देवी, महेन्द्र कुमार, ललित कुमार स्वामी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :–

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

(1) बेसमेंट शॉप नम्बर बी–9, ग्राम कनवत, तहसील खण्डेला, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708, जिसकी नाप 100.64 वर्गफुट मालिकाना हक सुशीला देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न है:–पूर्व में – शॉप नं. बी–10, पश्चिम में – गैलरी, उत्तर में – रोड़, दक्षिण मे – गैलरी

(2) अचल सम्पति– ग्राउण्ड फ्लोर जी–9, ग्राम– कनवत, तहसील खण्डेला, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708 जिसकी नाप 150.69 वर्गफुट मालिकाना हक सुशीला देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न है:– पूर्व में – शॉप नं. जी–10, पश्चिम में – गैलरी, उत्तर में – रोड़, दक्षिण मे – शॉप नं. जी–38

(3) प्रोपर्टी एस. नं. 1993, संकल्प नं. 18, एट ग्राम पंचायत कनवत, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708 जिसकी नाप 130.015 वर्गगज मालिकाना हक महेन्द्र कुमार का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं:– पूर्व में – कम्बाइंड चौक एण्ड एक्टिव, पश्चिम में – गली 2 फुट और पूरण मल दर्जी का मकान, उत्तर में –गली, दक्षिण मे – भोलाराम लाम्बा और किशनलाल पोद्दार का प्लॉट

को बंधक रखकर 35,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये पैंतीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.05.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री महेश कुमार मिश्रा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त सम्पत्तियों में से शॉप नम्बर बी–9 व जी–9 पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अतिक्रमण कर दुकानात निर्माण कर रखा है, जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 विगत कई वर्षो से लापता है, जिसकी कोई सूचना जवाबदाता के पास नहीं है। ऋण का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को ही करना है। अप्प्रार्थी संख्या 1 को तलाश कर ऋण का भुगतान करने का प्रयास किया जा रह है। अतः ऋण भुगतान हेतु समय देने की कृपा करें।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 03.05.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिनियम में न्यायालय हाजा को अतिरिक्त समय दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राजेश गोयल, सुशीला देवी, महेन्द्र कुमार, ललित कुमार स्वामी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधकः–

(1) बेसमेंट शॉप नम्बर बी–9, ग्राम कनवत, तहसील खण्डेला, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708, जिसकी नाप 100.64 वर्गफुट मालिकाना हक सुशीला देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न है:–पूर्व में – शॉप नं. बी–10, पश्चिम में – गैलरी, उत्तर में – रोड़, दक्षिण मे – गैलरी

(2) अचल सम्पति– ग्राउण्ड फ्लोर जी–9, ग्राम– कनवत, तहसील खण्डेला, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708 जिसकी नाप 150.69 वर्गफुट मालिकाना हक सुशीला देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न है:– पूर्व में – शॉप नं. जी–10, पश्चिम में – गैलरी, उत्तर में – रोड़, दक्षिण मे – शॉप नं. जी–38

(3) प्रोपर्टी एस. नं. 1993, संकल्प नं. 18, एट ग्राम पंचायत कनवत, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर– 332708 जिसकी नाप 130.015 वर्गगज मालिकाना हक महेन्द्र कुमार का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं:– पूर्व में – कम्बाइंड चौक एण्ड एक्टिव, पश्चिम में – गली 2 फुट और पूरण मल दर्जी का मकान, उत्तर में –गली, दक्षिण मे – भोलाराम लाम्बा और किशनलाल पोद्दार का प्लॉट

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांकः 13-5- 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner